ANNEXURE 'B'

रकार

ग

ग)

क्रमांक : प.6(4)वित्त(नियम)/06 जयपुर, दिनांक : 16.6.2006

आदेश

विषय :– राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1970 : – राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी, एसएमएस अस्पताल, जयपुर द्वारा अनुबंधित मैसर्स वर्द्धमान स्कैनर्स एण्ड इमेजर्स प्राइवेट लिमिटेड से अन्वेषण इत्यादि हेतु शिथिलीकरण।

राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1970 के नियम 3(n) में प्रावधान अनुसार राजकीय अस्पताल में विकृति विज्ञान, जीवाणु विज्ञान और विकिरण चिकित्सा संबंधी जाँचों, एक्स–रे, डायलिसिस और अन्वेषण आदि के लिये जो प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक द्वारा आवश्यक समझी जायें, राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.18(20)चि.स्वा./ग्रुप–1/95 दिनांक 26.9.1995 के अनुसार स्थापित राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी के अधीन किसी सरकारी अस्पताल में सरकारी कर्मचारियों द्वारा संदत्त प्रभार का पुनर्भरण अनुज्ञेय है। राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी द्वारा अनुबन्ध के आधार पर सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में एमआरआई एवं सीटी स्केन टेस्टों/ अन्वेषण आदि के लिये मैसर्स वर्द्धमान स्कैनर्स एण्ड इमेजर्स प्राइवेट लिमिटेड से अनुबन्ध कर अस्पताल में ही टेस्ट करने की सुविधा पूर्व में तय शुल्क के आधार पर की गई है। उपरोक्त आदेश में यह व्यवस्था स्पष्ट रूप से सन्निहित नहीं होने से राज्य सरकार के पास प्रत्येक ऐसे प्रकरण में शिथिलीकरण हेतु प्रस्ताव प्राप्त होते रहे हैं एवं सभी प्रकरणों में शिथिलीकरण किया जा रहा है।

उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार सामान्य शिथिलीकरण करने हेतु यह आदेश देती है कि इस एजेन्सी द्वारा किये गये एमआरआई एवं सीटी स्केन टेस्ट / अन्वेषण राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी के मार्फत किये हुए माने जाकर पूर्व में निर्धारित शुल्क की राशि नियमानुसार पुनर्भरण योग्य मानी जावेगी एवं विभागाध्यक्ष ऐसी राशि के पुनर्भरण की अनुमति दे सकेंगे। वित्त विभाग के पत्र क्रमांक प.6(4)वित्त(नियम)/99 दिनांक 5.4.2003 के अनुसार एमआरआई एवं स्ट्रेस थैलीयम टेस्ट मेडिकल बोर्ड की अनुशंषा पर कराये जाने संबंधी अन्य शर्तें पूर्ववत् रहेंगी। लम्बित प्रकरण भी उक्तानुसार निस्तारित किये जायेंगे।

15/6/2006

(सुमाष गर्ग)
शासन सचिव (तृतीय), वित्त

C:\Rules\JointOrder.doc

'राजस्थान सरकार, वित्त विभाग (नियम अनुभाग)

स्पष्टीकरण

74

क्रमांकः प 1(6) वित्त (नियम)/2002 पार्ट- II जयपुर, दिनांक 3 अप्रेल 2007

विषय : राजस्थान चिकित्सा रियायत योजना के तहत चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर रहे पेंशनरों को नियमों में शिथिलीकरण बाबत।

राजस्थान राज्य चिकित्सा योजना के तहत चिकित्सा प्राप्त कर रहे पेंशनरों को सामान्यतया राज्य कर्मचारियों को देय सभी चिकित्सा सुविधाओं का लाभ देय होता है। राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारियों को राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 1970 के तहत जारी आदेश क्रमांक प.6(4) वित्त/नियम/06 दिनांक 16.6.2006 द्वारा सामान्य शिथिलीकरण देते हुए एमआरआई एवं सीटी स्केन टेस्ट/अन्वेषण राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी के मार्फत किये हुए जाने वाले पूर्व में निर्धारित शुल्क की राशि नियमानुसार पुनर्भरण योग्य मानी जावेगी एवं विभागाध्यक्ष ऐसी राशि के पुनर्भरण की अनुमति दे सकेंगे। इसके पश्चात् समसंख्यक आदेश दिनांक 7.10.2006 एवं 21.11.2006 द्वारा एमआरआई कराने जाने की प्रक्रिया एवं उस पर हुए व्यय के पुनर्भरण का सरलीकरण किया गया है एवं मेडिकल बोर्ड की अभिशंषा की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है :

अतः उक्त तीनों आदेशों के प्रावधान/सुविधा राजकीय पेंशनरों पर भी उक्त आदेशों के जारी होने की दिनांक से लागू होंगे एवं लम्बित प्रकरणों का निस्तारण भी उक्तानुसार ही किया जावे।

संलग्न :-दिनांक 16.6.2006, 7.10.2006 एवं
21.11.2006 उक्त तीनों आदेशों की प्रति।

हस्ताक्षर........
(एम. एल. गुप्ता)
विशेषाधिकारी (प्रथम)

आदेश क्र.- 240

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,अजमेर
(कार्यालय मुख्य लेखाधिकारी)

क्रमांक/अ.वि.वि.नि.लि./मु.ले.अ./ नियम/(प.04)/डे. 1252 दिनांक 27-7-07

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त राजकीय आदेशों के प्रावधान अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर रहे पेंशनर्स पर भी लागू होंगे:-

1. मुख्य अभियंता,(पवस/वाणिज्यिक), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,अजमेर/उदयपुर/झुन्झुनु।
2. संभागीय मुख्य अभियंता,(अजमेर संभाग), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,अजमेर।
3. उप मुख्य अभियंता,(आर.पी.पी.सी.), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,हीरापुरा जयपुर।
4. सचिव(प्रशासन),अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,अजमेर।
5. अधीक्षण अभियंता (पवस/),अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर/भीलवाड़ा नागौर/उदयपुर/चित्तौड़गढ़/बांसवाड़ा/राजसमन्द/झुन्झुनु/सीकर।
6. कम्पनी सचिव, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,अजमेर।
7. तकनीकी सहायक (प्रबन्ध निदेशक) एवं उपभण्डार नियंत्रक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,अजमेर।
8. उप निदेशक कार्मिक,(संभाग), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,अजमेर/ उदयपुर/ /झुन्झुनु।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी,( ), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,...............................।
10. लेखाधिकारी,( ), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,...............................।
11. कार्मिक अधिकारी (पवस/निगम मुख्यालय),अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,...............................।
12. जनसम्पर्क अधिकारी, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,अजमेर।
13. सहायक लेखाधिकारी (सी.पी.सी.), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,अजमेर।
14. निजी सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,अजमेर/जयपुर।
15. कार्यालय आदेश पत्रावली।

(एस.एम.माथुर)
मुख्य लेखाधिकारी

ANNEXURE - 15

राजस्थान सरकार

वित्त विभाग

व्यय अनुभाग

क्रमांक : प.6(4)वित्त/नियम/2006 जयपुर, दिनांक : 21 NOV 2006

आदेश

विषय: राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1970 – जयपुर के अतिरिक्त अन्य जिलों में जिला चिकित्सालय/चिकित्सा महाविद्यालय में निजी अस्पताल/परीक्षण केन्द्र से कराई गई MRI जांच पर व्यय की गई राशि के पुनर्भरण हेतु शिथिलीकरण के संबंध में।

राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1970 के नियम 3(n) के प्रावधानानुसार राजकीय अस्पताल से विकृति विज्ञान, जीवाणु विज्ञान, विकिरण चिकित्सा संबंधी जांचों, X-Rays, अन्वेषण इत्यादि, जो प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा आवश्यक समझे जावें, कराये जाने पर सरकारी कर्मचारी द्वारा राजकीय अस्पताल व्यय, राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी को संदत्त प्रभार का पुनर्भरण अनुज्ञेय है।

राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1970 में प्राईवेट ऐजन्सी से कराई जाने वाली जांच के संदत्त प्रभार का पुनर्भरण अनुज्ञेय नहीं है। राज्य में स्थित किसी भी राजकीय जिला चिकित्सालय/चिकित्सा महाविद्यालय में MRI जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं है। केवल सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी से अनुबंधित दरों पर मैसर्स वर्द्धमान स्कैनर्स एण्ड इमेजर्स प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर में MRI जांच की सुविधा उपलब्ध है जिसके पुनर्भरण के संबंध में सामान्य शिथिलीकरण के आदेश रामसंख्यक दिनांक 16.06.2006 एवं 07.10.2006 को जारी किए गए है।

जयपुर के अतिरिक्त अन्य जिलों में जिला चिकित्सालय/चिकित्सा महाविद्यालय (जहां अन्य परीक्षणों की सुविधा उपलब्ध है किन्तु MRI परीक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है) से राज्य कर्मचारियों द्वारा निजी अस्पताल/परीक्षण केन्द्र से कराए गए MRI जांच पर व्यय की गई राशि के पुनर्भरण के संबंध में प्रकरण वित्त विभाग को प्राप्त होते रहे है।

-93-

ANNEXURE

(75)

राजस्थान सरकार

वित्त विभाग

(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.6(4)वित्त(नियम)/06 जयपुर, दिनांक : 27 OCT 2006

आदेश

विषय :- राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1970 : – राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी, एसएमएस अस्पताल, जयपुर द्वारा अनुबंधित मैसर्स ... स्केनर्स एण्ड इमेजर्स प्राइवेट लिमिटेड से अन्वेषण इत्यादि हेतु चिकित्सा...

वित्त विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16.06.2006 में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य सरकार द्वारा MRI Test के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि इस टेस्ट हेतु मेडिकल बोर्ड की सिफारिश आवश्यक नहीं होगी। अन्तरंग रोगी एवं दुर्घटना के मामलों में MRI Test ड्यूटी डॉक्टर के परामर्श से कराया जा सकेगा, जिसकी पुष्टि बाद में संबंधित यूनिट हैड / विभागाध्यक्ष करेंगे। बहिरंग रोगी के मामले में MRI Test यूनिट हैड / विभागाध्यक्ष के परामर्श से ही कराया जा सकेगा।

(सुभाष गर्ग)
शासन सचिव (तृतीय), वित्त

प्रतिलिपि :-

1. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
2. समस्त विशिष्ठ सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री।
3. समस्त सचिवालय के प्रकोष्ठ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष।
5. समस्त कोषाधिकारी।
6. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (7 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित) (कोडिफिकेशन)।
7. निदेशक कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर (100 प्रतियाँ उप कोषाधिकारियों के लिए)।
8. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर (250 प्रतियाँ)।

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर (25 अतिरिक्त प्रतियों सहित) अधीनस्थ विधान समिति...
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।

(एस. ...)
विशेषाधिकारी